

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बारां थाना :- प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :-2022
प्र0सू0रि0 सं 495/22 दिनांक 28/12/22
2. (1) अधिनियम... भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988... धाराएँ...13(1)(ई) 13(2).....
(2) अधिनियम.....
(3) अधिनियम.....धाराएँ.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धाराएँ
3. (क) घटना का दिन :- चैक अवधि 18.10.1993 से दिनांक 19.07.2017 तक
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :- 19.07.2019 समय :- 05.20 पी.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 557 समय 4:00 pm
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई- (लिखित/मौखिक) - फर्द खाना तलाशी दिनांक 19.07.2017
5. घटनास्थल का ब्यौरा :-
(क) थाने से दिशा एवं दूरी - चौकी ए.सी.बी. बारां से करीब 80 कि0मी0 बजानिब पश्चिम बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
(ख) पता:- मकान नं. 29, गणपति रेजीडेंसी रिद्धि सिद्धि नगर-प्रथम कुन्हाड़ी, कोटा
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....
6. शिकायतकर्ता/इतिला देने वाला :-
(क) नाम :- श्री गोपाल सिंह कानावत अति0 पुलिस अधीक्षक भ्र0 नि0 ब्यूरो बारां
(ख) पिता/पति का नाम :- स्व. श्री अमर सिंह कानावत
(ग) जन्म तिथि/उम्र :- 50 साल
(घ) राष्ट्रियता - भारतीय
(ङ) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय - नौकरी
(छ) पता :- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0 नि0 ब्यूरो बारां।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :-
श्री सुभाष विजय पुत्र श्री सूर्यनारायण जाति महाजन उम्र 57 साल मकान नं. 29, गणपति रेजीडेंसी रिद्धि सिद्धि नगर-प्रथम कुन्हाड़ी, कोटा तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का बम्बोरी तहसील अटरू, अतिरिक्त जार्च पटवार हल्का अर्डान्द और मूण्डला बिसोती तहसील अटरू जिला बारां
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :- कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पत्ति की विशिष्टियाँ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पत्ति का कुल मूल्य: चैक अवधि 18.10.1993 से दिनांक 19.07.2017 तक में आय से अधिक परिसम्पतियां अर्जित करना
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :-

महोदय,

मामला वाकयात इस प्रकार है कि परिवादी श्री जयेश पुत्र श्री शोभागमल जाति गुर्जर उम्र 25 वर्ष निवासी राजपुरा वार्ड बारां जिला बारां ने दिनांक 18.07.17 को एसीबी बारां पर पेश की गई शिकायत पर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया एवं बाद सत्यापन दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी सुभाष विजय पटवारी द्वारा परिवादी से 6000 रूपये रिश्वत प्राप्त करने पर गिरफ्तार किया गया। ट्रेप कार्यवाही पर प्रकरण संख्या 198/17 पंजीबद्ध हुआ। ट्रेप कार्यवाही

के बाद आरोपी के निवास मकान नम्बर 29 गणपति रेजिडेन्सी रिट्टी सिद्धि नगर प्रथम कुन्हाड़ी जिला कोटा की स्वतंत्र गवाह श्री बृजेश कुमार एवं श्री नरेन्द्र पारेता पेशन विभाग कोटा की उपस्थिति में श्री रमेशचंद पुलिस निरीक्षक एसीबी स्पेशल यूनिट कोटा द्वारा नियमानुसार खानातलाशी ली गई। फर्द खाना तलाशी एसीबी चौकी बारां पर प्राप्त होने पर श्री ज्ञानचन्द पुलिस निरीक्षक तत्कालीन एसीबी चौकी बारां द्वारा खाना तलाशी की जांच की जाकर जांच रिपोर्ट अग्रेषित की गई। श्री ज्ञानचन्द पुलिस निरीक्षक के स्थानान्तरण के उपरान्त श्री अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चौकी बारां द्वारा खाना तलाशी की जांच के क्रम में प्राप्त आक्षेपों की जांच की गई। आरोपी सुभाज विजय पटवारी के निवास की तलाशी, आरोपी के स्पष्टीकरण एवं जांच से आरोपी सुभाष विजय पटवारी के पास चैक पिरियड अवधि वर्ष 18 10. 1993 से 19.07.2017 में निम्नानुसार सम्पत्ति होना पाया गया :-

1. एक पक्का मकान जिसकी साईज 20 गुणा 50 एक मंजिला बना हुआ मकान नम्बर 29 गणपति रेजिडेन्सी रिट्टी सिद्धि नगर प्रथम, कुन्हाड़ी कोटा। तत्समय की कीमत का जांच के दौरान उक्त मकान का सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा से मूल्यांकन करवाया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर मकान की किमत 24 लाख 25 हजार 547 रुपये है।

क.स.	स्थान/कमरा	सामान का विवरण	अनुमानित कीमत
1.	<u>गेस्ट रूम</u>	1. एक दीवान लकड़ी का मय बिस्तर के लागत लगभग	5,000 रुपये
		2. दीवान में पुराने इस्तेमाली कपडे व बिस्तर	3,000 रुपये
		3. एक फोम का गद्दा	4,000 रुपये
		4. एक कालीन काले रंग की	1,500 रुपये
		5. एक लकड़ी का पूरा सोफा सेट	20,000 रुपये
		6. एक लकड़ी की टी-टेबल	1,500 रुपये
		7. एक टी.वी. एलजी कम्पनी का पोर्टेबल	5,000 रुपये
		8. एक इस्त्री बजाज कम्पनी की	8,00 रुपये
		9. एक कूलर लोहे का जैनीथ कम्पनी का	5,000 रुपये
		10. एक छत का पंखा मावेल्स कम्पनी का	1,500 रुपये
		11. एक दिवार घडी	3,500 रुपये
2.	<u>बरामदा चौक</u>	1. एक सेमसंग कम्पनी का डबल डोर का फ्रिज	22,000 रुपये
		2. एक टेबल लकड़ी की छोटी	1,000 रुपये
		3. एक वॉशिंग मशीन एलजी कम्पनी की सेमीऑटोमेटिक	9,000 रुपये
		4. एक इमरजेन्सी लाईट	1,500 रुपये
		5. एक गेहू रखने का लोहे का बक्सा	2,000 रुपये
		6. चार प्लास्टिक की कुर्सिया	2,500 रुपये
		7. एक छत का पंखा	1,500 रुपये
3.	<u>रसोई घर</u>	1. एक गैस चूल्हा स्टील का	1,500 रुपये
		2. एक आरओ नेशनल कम्पनी का	4,000 रुपये
		3. एक मिक्सी (ज्यूसर) सुपर पावर कम्पनी	1,500 रुपये
		4. दो सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी की	1,800 रुपये
		5. कोकरी व किराना का सामान	4,500 रुपये
4.	<u>बैडरूम प्रथम</u>	1. एक डबल बैड मय बिस्तरों के	25,000 रुपये
		2. ड्रेसिंग आलमारी लकड़ी की	5,000 रुपये
		3. डबल बैड के अन्दर पुराने इस्तेमाली बिस्तर	2,500 रुपये
		4. एक लौहे का छोटा बक्सा जिसमें पांच साडियां	3,500 रुपये

		5.	एक छत का सिलिंग पंखा	1,500 रुपये
		6.	एक टीवी पोर्टेबल त्रिशुल कम्पनी की	2,000 रुपये
5.	<u>बैडरूम</u> <u>द्वितीय</u>	1.	एक दिवान लकड़ी का मय गददे के	5,000 रुपये
		2.	दीवान में पुराने इस्तेमाली बिस्तर	3,500 रुपये
		3.	एक सेमसंग कम्पनी का कम्प्यूटर सेट मय टेबल के	29,000 रुपये
		4.	दो सूटकेश खाली	1,000 रुपये
		5.	सिलाई मशीन हाथ की सुहाग कम्पनी की	1,500 रुपये
		6.	एक छत का पंखा	1,500 रुपये
6.		1	एक लोहे की गोदरेज कम्पनी की आलमारी	8,000 रुपये
योग			कम संख्या 2 से 7 तक स्थानों पर मिले सामानों की कुल अनुमानित कीमत	1,92,600 रुपये
8.	लोहे की गोदरेज कम्पनी की आलमारी से मिले सामान	1.	गले का एक हार सोने का मय झुमके के डेढ तौले का (लगभग)	45,000 रुपये
		2.	एक सोने का मंगल सूत्र आधा तौले का (लगभग)	15,000 रुपये
		3.	एक सोने की चैन एक तौला (लगभग)	30,000 रुपये
		4.	पांच सोने की अंगुठी लगभग एक तौला (लगभग)	30,000 रुपये
		5.	सोने की एक चैन लगभग 5 ग्राम(लगभग)	15,000 रुपये
		6.	झूमकी सोने की व टॉप्स 5-5 ग्राम(लगभग)	30,000 रुपये
		7.	एक जोड़ी चांदी की पायल लगभग 250 ग्रा	7,000 रुपये
		8.	दस जोड़ी चांदी की बिछिया लगभग 50 ग्राम (लगभग)	2,500 रुपये
		9.	29 चांदी के सिक्के प्रति सिक्का 10 ग्राम 290 ग्राम (लगभग)	10,000 रुपये
			कम संख्या 1 से 9 तक के आभूषणों की अनुमानित कीमत	1,84,500 रुपये
		10.	सिक्के की रेजगारी सिक्के 230 रुपये की नकद राशि की व 24000 रुपये की नकद राशि मिली।	24,230 रुपये
		11.	एक आरसी एम/सी नं0 आरजे 20 एसएस 7985 जो हीरो होण्डा पेशन प्रो है जो कि श्री सुभाष विजय के नाम से क्रय की गई है।	51,617 रुपये
		12.	एक स्कूटर हीरो प्लेजर नं आरजे 20 एसटी 9027 है जो कि सुभाष विजय के नाम है। रजिस्ट्रेशन की प्रति।	44,760 रुपये
		13.	एक आरसी एम/सी नं. आरजे 28 एसडी 1395 हीरोहोण्डा स्पलेण्डर प्लस है जो कि सुभाष विजय के नाम है।	42,295 रुपये
		14.	एक फोटो प्रति एलआईसी नं. 081403616 राशि 50,000 रुपये की	परिपक्व होना बताया।

		275 प्रिमियम की जो कि सुभाष विजय के नाम है।	
15.		एक मूल एलआईसी नं0 185170955 जीवन आनन्द एक लाख रुपये की जो कि सुभाष विजय के नाम है। दिनांक 28.03.06 से 28.03.2026 तक	28.03.2006 से प्रारम्भ 5815 रुपये प्रति वर्ष कुल जमा राशि 63,965 रुपये
16.		एक एलआईसी नं0 188168993 मनीबैग एक लाख रुपये की जो कि कीर्ति विजय के नाम है। दिनांक 4.09.14 से 14.09.28 तक।	04.09.14 से प्रारम्भ 8376 रुपये प्रति वर्ष कुल जमा राशि 25,128 रुपये
17.		एक एलआईसी नं. 188136809	18.12.12 से प्रारम्भ 5880 रुपये प्रति वर्ष से पांच वर्ष की जमा राशि 29,400 रुपये
		एक एलआईसी नं. 185381203	11.01.2007 से प्रारम्भ 900 रुपये प्रति माह से 10 वर्ष की जमा राशि 1,08,000 रुपये
18.		एलआईसी नं. 184088352	परिपक्व होना बताया।
		एलआईसी नं. 188131791	06.08.2012 से प्रारम्भ 5880 रुपये प्रति वर्ष से 5 वर्ष की जमा राशि 29,400 रुपये
19.		एक बैंक डायरी बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गिरधरपुरा कोटा में जिसके एकाउन्ट नं. 45970100306334 है। जिसमें दिनांक 3.4.17 की अन्तिम एन्ट्री में रुपये 68423 शेष बैलेन्स जमा है जो कि सुभाष विजय की पत्नी श्रीमति कीर्ति विजय के नाम	दिनांक 19.7.17 को एमओडी बैलेन्स 27,825 रुपये
20.		एक बैंक पासबुक एसबीबीजे शाखा गुमानपुरा-कोटा सुभाष विजय के नाम से है एकाउन्ट नं 51004238384 जिसमें दिनांक 25.6.17 को अन्तिम एन्ट्री में रुपये 74035 का बैलेन्स जमा है।	दिनांक 19.7.17 को एमओडी बैलेन्स 74,035 रुपये
21.		एक पासबुक इलाहाबाद बैंक-कोटडी चौराहा कोटा सुभाष विजय के नाम से है एकाउन्ट नं. 50201695297 जिसमें दिनांक 11.7.17 की अन्तिम एन्ट्री 17491 रुपये का बैलेन्स जमा है।	दिनांक 19.7.17 को एमओडी बैलेन्स 17,576 रुपये

		22.	तीन एफडी श्री सुभाष विजय के नाम से जिनके एकाउन्ट नं० कमश निम्न है—	
			1. ए/सी नं. 50312571504 राशि 70000 दिनांक 19.12.2015	70,000
			2. ए/सी नं. 50347130535 राशि 80000 दिनांक 06.08.2016	80,000
			3. ए/सी नं. 50203392290 राशि 49000 दिनांक 10.05.2014 जो कि इलाहाबाद बैंक कोटडी चौराहा कोटा झालावाड रोड कोटा से बनी है।	49,000
		23.	एक बैंक डायरी एसबीबीजे शाखा अटरू सुभाष विजय के नाम एकाउन्ट नं० 51079532560 जिसमें दिनांक 08.01.13 की अन्तिम एन्ट्री 72079 रुपये जमा है।	दिनांक 19.7.17 को एमओडी बैलेंस 3,27,395 रुपये

24. श्री सुभाष विजय की पत्नी श्रीमति कीर्ति विजय के नाम निम्नलिखित एफडी पाई गई :-

क्र.स.	बैंक का नाम	धारक का नाम	ए/सी नं.	जारी दिनांक	राशि
1	हाडौती क्षे. ग्रामीण बैंक	कीर्ति विजय	03 / 35504	28.08.12	25,000
2	---	---	03 / 35692	14.09.13	1,00000
3	---	---	03 / 35734	27.11.14	11,412
4	---	---	03 / 35816	24.06.14	50,000
5	---	---	03 / 35822	02.07.15	50,000
6	---	---	03 / 35392	27.12.11	10,000
7	बडौदा राज. क्षे. ग्रा. बैंक	---	45970300035914	16.02.15	30,000
8	---	---	4597030035986	20.07.15	90,000
9	---	---	4597030036110	08.07.16	1,00000
10	---	---	4597030036112	13.07.16	1,00000
11	हाडौती क्षे.ग्रा.बैंक	---	4597030035635	05.06.13	1,00000
12	एसबीबीजे गुमानपुरा	---	61167799961	22.09.12	40,000
13	---	---	61280117413	20.07.15	1,00000
14	---	---	61280117220	20.07.15	1,00000
15	---	---	61300727054	17.12.15	1,00000
16	---	---	61320961364	13.07.16	80,000

25. भूखण्ड संख्या 52 क्षेत्रफल 20 गुणा 50 कुल 1000 वर्गफीट को कय करने के संबंध में इकरारनामा की प्रति जिस पर आरोपी द्वारा आवास निर्माण कर निवास करना पाया गया है।
26. इलाहबाद बैंक शाखा झालावाड रोड कोटा में लॉकर संख्या 66/द्वितीय-269 की चाबी नम्बर 56 प्राप्त हुई। दिनांक 17.11.17 को बैंक लॉकर की तलाशी के दौरान निम्न प्रकार से सम्पत्ति ज्ञात हुई :-

क्र.स.	सामान का विवरण	अनुमानित कीमत
--------	----------------	---------------

1.	एक चांदी का नारियल वजन करीब 20 ग्राम	
2.	एक चांदी का छोटा नारियल वजन करीब 10 ग्राम	
3.	एक चांदी का गिलास वजन करीब 40 ग्राम	
4.	एक चांदी का छोटा गिलास	
5.	चार नग छोटे बच्चों के चांदी के कडे वजन करीब 20 ग्राम	
6.	पांच जोड़ी चांदी की पायजेब वजन करीब 250 ग्राम	
7.	एक चांदी की चैन वजन करीब 10 ग्राम	
8.	10 रुपये के नोट की 06 गडडीयां जिसमें 5 गडडीयों में 100 नोट एक गडडी में 77 नोट है।	5,770 रुपये
9.	20 रुपये के नोट की एक गडडी जिसमें कुल 100 नोट	2,000 रुपये

आरोपी श्री सुभाष विजय पटवारी के आवास एवं बैंक लॉकर की ली गई खानातलाशियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा गया तो आरोपी ने दिनांक 04.01.2018 को अपना लिखित स्पष्टीकरण खानातलाशी के बिन्दु अनुसार बिन्दुवार स्पष्टीकरण निम्नानुसार पेश किया:-

1. मकान की साईज 25 गुणा 50 वर्गफीट गलत अंकित की गयी है। मकान की साईज 20 गुणा 50 वर्गफीट है। इसके अलावा मेरे पास कोई मकान नहीं है उक्त प्लॉट को मेरे पिताजी जो रेल्वे विभाग में कर्मचारी थे द्वारा वर्ष 2009 में 2 लाख 90 हजार रुपये में क़य किया था तथा इसके पश्चात् मेरे पिताजी, माताजी, मेरे एवं मेरी पत्नि आदि के द्वारा बचत की राशि से भूखण्ड पर मकान का निर्माण करवाया था। उस समय भूखण्ड सहित मकान की अनुमानित लागत लगभग 7 लाख रुपये थी। इस सम्बन्ध में आरोपी द्वारा अपने आवास के पट्टे की प्रति पेश की है तथा मोटरसाईकिल आरजे 20 एसएस 7985 मेरे स्वयं के नाम है। उक्त गाडी को मेरी बचत की राशि एवं मेरी माताजी से शेष रुपये लेकर खरीदी गयी थी।
2. गेस्ट रूम के सामान घरेलू एवं पुराना सामान है जिनकी किमत अत्यधिक बढ़ाचढ़ाकर आंकी गई है।
3. बरामदा चौक के सामान घरेलू एवं पुराना सामान है जिनकी किमत भी अत्यधिक बढ़ाचढ़ाकर अंकित की गई है।
4. रसोई घर का सामान रसोई की मूलभूत वस्तुएं है तथा किराना खाने पीने के लिये रोजमर्रा की आवश्यकता है।
5. बैड रूम प्रथम का सामान घरेलू एवं पुराना सामान है जिनकी किमते बढ़ा चढ़ाकर अंकित की गई है जो वर्तमान कीमतों से भी अधिक है।
6. बेडरूम द्वितीय में एक लगायत दो है जो कि कम संख्या 2 के कम एक व दो पर अंकित किया हुआ है। गलत अंकित हुआ है जबकि एक ही दीवान हैं जो अत्यधिक पुराना है तथा कम 3 लगायत 7 है जो घरेलू सामान है जो अत्यधिक पुराने सामान है। जिनकी कीमत बढ़ा चढ़ाकर आंकी गई है जो वर्तमान कीमतों से भी काफी अधिक है।
7. लोहे की गोदरेज आलमारी से निम्न सामान मिले है जो कम 1 लगायत 9 है जो शादी के समय दिया गया स्त्री धन है जो कि स्त्री धन शादी के समय दिया जाता है। उक्त स्त्रीधन भी अत्यधिक पुराना है तथा डिजायने बहुत पुरानी हो गई है। उक्त स्त्रीधन को शादी के समय मेरी पत्नी के पिताजी अर्थात् मेरे ससुरजी ने दिया था। मेरे ससुरजी सहायक कृषि अधिकारी थे तथा उनका परिवार ख्याति प्राप्त एवं समाज का अच्छा रसूकदार परिवार था। मेरी पत्नी के तीन भाई भी है और मेरी पत्नि अपने पिताजी तथा भाईयों की लाडली थी और आज भी है तथा पिताजी के गुजर जाने के बाद भी भाईयों की लाडली है क्योंकि मेरी तीन भाईयो में एक ही बहन है तथा तीनों भाईयों की शादीयों में भी मेरी पत्नि को उसकी पसन्द के अनुसार विदा के रूप में जैवर कपडे रुपये व अन्य सामान दिये थे। इसी तरह समय समय पर आने वाले तीज त्योहारों, छोटे मोटे पारिवारिका कार्यक्रमों आदि पर भी उसकी पसन्द नापसन्द के अनुसार भाईयो द्वारा सबकुछ दिया जाता रहा है। तीनों भाईयो की आर्थिक स्थिति

- काफी सुदृढ़ है। बड़े भाई सरकारी अध्यापक है। छोटे भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जो पुणे में प्राइवेट कम्पनी में कार्यरत है एवं तीसरा भाई व्यापारी है। इस प्रकार इन सभी के द्वारा दिया गया स्त्रीधन है। कम संख्या 10 में 24000/- रुपये मिले जो घरेलू खर्च हेतु रखी हुई आवश्यक रकम है।
8. मोटरसाइकिल आरजे 20 एसएस 7985 मेरे स्वयं के नाम है जो क्रम संख्या एक में दिखाई गई है इसे दुबारा अंकित किया है।
 9. गाडी नं आरजे 20 एसटी 9027 को मेरी माता मीरोदवी ने मुझे दिलवाई थी जो अत्यधिक पुरानी हो चुकी है। जिसका अनुमानित मुल्य अत्यधिक माना गया है जिसकी आरसी की प्रति पेश की गई है। आरसी के अनुसार वाहन मालिक स्वयं सुभाष विजय है तथा मॉडल वर्ष 2012 का है। गाडी संख्या आरजे 28 एसडी 1385 को मेरे द्वारा ससूराल से शादी के समय दहेज में राजदूत गाडी दी गई थी जिसको मेरे द्वारा चार वर्ष चलाने के पश्चात् बेचने के बाद प्राप्त हुई राशि एवं शेष राशि पिताजी से लेकर खरीदी।
 10. एलआईसी नं. 0181403616 राशि 50000 रुपये की 275 प्रिमियम है जिसकी मेरे वेतन से कटौती होती थी जो दिनांक 15.03.17 को पूर्ण हो चुकी है।
 11. एलआईसी नं0 185170955 जीवन आनन्द एक लाख रुपये है जो मेरे द्वारा करवाई गई है।
 12. एलआईसी नं0 188168993 मनीबैग एक लाख रुपये की जो कि कीर्ति विजय के नाम है जिसे मेरी पत्नी कीर्ति विजय नगद जमा करवाती है।
 13. दो एलआईसी नं. 0188136809 व 185381203 कोमल जीवन प्लान श्री सुभाष विजय के पुत्र श्री हीतेश विजयवर्गीय के नाम है जिनमें से एलआईसी नं. 188136809 नगद एवं एलआईसी नं. 185381203 मेरे वेतन से जमा होती है।
 14. दो एलआईसी नं. 0184088352 व 1881311791 धन वापसी बाल बीमा सुभाष विजय के पुत्र श्री पीयूष विजय के नाम से है। जिनमें से एलआईसी नं. 0184088352 दिनांक 28.03.15 को पूर्ण हो चुकी है एवं एलआईसी नं. 1881311791 अभी चल रही है।
 15. बैंक डायरी बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गिरधरपुरा कोटा की है जो कीर्ति विजय के नाम है जो बचत खाता है।
 16. उक्त सम्बन्ध में आरोपी सुभाष विजय ने स्पष्टीकरण में बताया कि बैंक डायरी एसबीबीजे शाखा गुमानपुरा-कोटा एकाउन्ट नं 51004238384 जो मेरे नाम है जो बचत खाता है।
 17. एक पासबुक इलाहाबाद बैंक-कोटडी चौराहा कोटा एकाउन्ट नं. 50201695297 है जो मेरा बचत खाता है।
 18. ए/सी नं. 50312571504 राशि 70000 दिनांक 19.12.2015 व ए/सी नं. 50347130535 राशि 80000 दिनांक 06.08.2016 उक्त दोनो ए/सी मेरी माताजी मीरादेवी की एफडी नम्बर 50073293613 से प्राप्त रकम आई थी जिससे करवाई थी। ए/सी नं. 50203392290 राशि 49000 दिनांक 10.05.2014 जो मेरी बचत द्वारा करवाई गई।
 19. एकाउन्ट नं0 51079532560 एसबीबीजे शाखा अटरू का है जिसमें मेरा मासिक वेतन जमा होता है।
 20. श्रीमति कीर्ति विजय के नाम पाई गई एफडी क्रम संख्या 5,8,9,10,13,14,15,16 में पाई गई एफडी व एसी नम्बर है जो मेरी माताजी मीरादेवी एफ.डी. बैंक एसबीबीजे में 435232 रुपये की है जो दिनांक 25.04.15 को पूर्ण होने के पश्चात चैक संख्या 563629 द्वारा दिनांक 25.04.15 को एसबीबीजे के ज्वॉइन्ट एकाउन्ट नम्बर 510042383184 में आई रकम से ली गई एफडी जमा ए/सी है तथा क्रम संख्या 1,2,3,4,6,7 व 11,12 की एफडी प्रार्थी द्वारा बचत के अनुसार करवाई गई है तथा कीर्ति विजय माताजी के द्वारा समय समय पर प्रदान की गई राशि से भी बचत की एफडी करवाई गई है।
 21. भूखण्ड संख्या-52 श्री नरेन्द्र खण्डेलवाल से श्रीमति कीर्ति विजय के नाम है जो दिनांक 30.05.09 को खरीदा गया था जिसकी पैमाईश 20 गुणा 50 कुल 1000



वर्गफीट है जिसका नम्बर 52 है। पट्टा बनने के बाद उक्त मकान का नम्बर 29 हो गया है। यह दोनो एक ही मकान है।

22. इलाहाबाद बैंक शाखा झालावाड रोड कोटा में एक लॉकर सं० 66/II-269 है जो मेरे व मेरी पत्नी का संयुक्त खाता है। जिसको मेरे द्वार सीआई साहब एसीबी बारां की उपस्थित में खुलवा दिया है।
23. मेरा वेतन खाता संख्या 51079532560 जो एसबीबीजे शाखा अटरू का है जो कम संख्या 23 के स्पष्टीकरण में अंकित है।

आरोपी श्री सुभाष विजय पटवारी के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं प्राप्त सम्पत्तियों के अर्जन का विश्लेषण:- आरोपी सुभाष विजय पटवारी द्वारा मकान नम्बर 29 गणपति रेजिडेन्सी रिट्टी सिद्धि नगर प्रथम कोटा के निर्माण हेतु वर्ष 2009 में स्वयं की पत्नि कीर्ति विजय के नाम भूखण्ड 2,90,000 रुपये में क्रय करना स्वीकार किया है एवं भूखण्ड क्रय करने का इकरार नामा दिनांक 30.05.09 पेश किया है। उक्त भूखण्ड पर आरोपी द्वारा 2009 के बाद रसोई, 02 बेडरूम, 01 बारामदा एवं 01 बैठक का निर्माण कराया गया है। जांच के दौरान उक्त मकान का सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा से मूल्यांकन करवाया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर मकान की किमत 24 लाख 25 हजार 547 रुपये है। आरोपी द्वारा फर्द खाना तलाशी के कम संख्या 02 में अंकित गेस्ट रूम, कम संख्या 3 पर अंकित बारामदा, कम संख्या 4 पर अंकित रसोई, कम संख्या 5 पर अंकित बैड रूप प्रथम, कम संख्या 6 पर अंकित बैडरूम द्वितीय में मिले सामान एवं कम संख्या 7 पर अंकित अलमारी को स्वयं की होना स्वीकार किया है। तथा इसी प्रकार अलमारी में मिली जेवरात को भी स्वयं का होना स्वीकार किया है। आरोपी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में फर्द खानातलाशी के कम संख्या 11 से लेकर 13 तक अंकित तीन दो पहिया वाहनों को स्वयं के द्वारा क्रय करना स्वीकार किया है। इसी प्रकार फर्द खानातलाशी के कम संख्या 14 से लेकर 18 तक अंकित जीवन बीमा निगम की पोलिसियों को स्वयं के वेतन एवं नकद जमा करवाकर लेना स्वीकार किया है। तथा कम संख्या 19, 20, 21 एवं 23 पर अंकित बैंक खाते स्वयं एवं अपनी पत्नि के नाम होना स्वीकार किया है एवं उन खातों में जमा राशि भी स्वयं द्वारा जमा करवाना स्वीकार किया है। इसी प्रकार कम संख्या 22 पर आरोपी सुभाष विजय पटवारी द्वारा 03 एफडीआर स्वयं के नाम होना स्वीकार किया है। तथा कम संख्या 24 में अंकित 16 एफडीआर स्वयं की पत्नि कीर्ति विजय के नाम होना स्वीकार किया है। आरोपी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में फर्द खाना तलाशी के कम संख्या 08 में अंकित अलमारी में मिले 1,84,500 रुपये के जेवरात स्त्रीधन के रूप में प्राप्त होना बताया है। परन्तु उक्त जेवरातों के कोई बिल एवं शादी के फोटोग्राफ पेश नहीं किये गये है। जिससे उक्त तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार आरोपी द्वारा 50-60 हजार रुपये प्रति वर्ष स्वयं की पत्नि कीर्ति विजय को उसके पिहर मायके से उसके हिस्से की जमीन की उपज की एवज में प्राप्त होने का उल्लेख किया है। जिस पर आरोपी से उसके ससुराल में मौजूद जमीन गांव माथनी तहसील बारां जिला बारां में स्थित भूमि की जमाबंदी प्राप्त की गई तो उक्त जमाबंदीओ में आरोपी की पत्नि कीर्ति विजय के नाम कोई भूमि नहीं होना पाया गया। आरोपी द्वारा स्पष्टीकरण में वर्णित भूमि आरोपी के ससुर दयाकिशन एवं आरोपी की सास चन्द्रकला के नाम होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी की पत्नि के नाम ससुराल में कोई जमीन नहीं होने से उस जमीन के प्रतिफल के रूप में राशि प्राप्त होने की पुष्टि होना नहीं पाया गया है।

सम्पत्ति मद :- इस प्रकार आरोपी सुभाष विजय पटवारी द्वारा नियुक्ति दिनांक 18.10.1993 से 19 जुलाई 2017 तक उपरोक्त समग्र मद में कुल 49,16,395 रुपये की सम्पत्ति अर्जित करना पाया गया है।

आय मद :- आरोपी द्वारा स्वयं की आय मद में वेतन विवरण प्रपत्र जीए-55 के अनुसार 18.10.1993 से लेकर 19 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत किये है। जिनके अनुसार उक्त अवधि में आरोपी को सकल वेतन 35,83,551 रुपये एवं बाद कटौती शुद्ध वेतन 32,48,451 रुपये होना पाया गया है। आरोपी द्वारा आय मद में स्वयं की माता मीरा देवी के नाम एफडीआर खाता संख्या 61139066108 में जमा राशि 4,35,232 एवं खाता संख्या 50073286855 में जमा राशि 68,597 रुपये एवं खाता संख्या 50073293613 में जमा राशि 1,02,156 रुपये मनोनीत होने कारण स्वयं को प्राप्त होना बताया है। इस प्रकार आरोपी द्वारा आय मद में कुल राशि वेतन

के रूप में प्राप्त 32,48,451 + एफडीआर में मनोनीत 4,35,232 + 68,597 + 1,02,156 कुल राशि 38,54,436 रुपये प्राप्त होना पाया गया है।

व्यय मद:— आरोपी द्वारा नियुक्ति दिनांक 18.10.1993 से जुलाई 2017 तक बड़े पुत्र पीयूष की कक्षा 01 से 12 तक शिक्षा, कोचिंग शुल्क, आईआईटी इन्जीनियरिंग डिग्री प्राप्त करने में कुल शिक्षण शुल्क 07 लाख रुपये अनुमानित एवं छोटे पुत्र हितेश की कक्षा 01 से 12 तक शिक्षा एवं इसके बाद एमबीबीएस की कोचिंग आदि पर कुल शिक्षण शुल्क 03 लाख रुपये अनुमानित खर्च होना अवगत बताया है। इसी प्रकार आरोपी द्वारा तीन दो पहिया वाहनो पर रखरखाव एवं बीमा आदि पर 21 हजार रुपये अनुमानित खर्च होना बताया है। बैंक लॉकर के किराये के रूप में 10 हजार रुपये एवं पारिवारिक सदस्यो के मोबाईल फोन खरीदने एवं संचालन में कुल 01 लाख रुपये अनुमानित खर्च होना बताया है तथा तीन दो पहिया वाहनो पर कय अवधि से ट्रेप दिनांक 19.07.17 तक 60 हजार रुपये अनुमानित पेट्रोल खर्च होना बताया है तथा आरोपी द्वारा उक्त अवधि में कोई इनकम टेक्स देना नहीं बताया है। इस प्रकार आरोपी द्वारा उक्त अवधि में सकल वेतन 35,83,551 का एक तिहाई 11,94,517 रुपये असत्यापनीय व्यय के रूप में खर्च किया गया है। इस प्रकार आरोपी द्वारा अपने सम्पूर्ण सेवा काल में पत्नि कीर्ति विजय, पुत्र पीयूष, पुत्र हितेश एवं स्वयं की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अन्य सभी प्रकार के खर्च के रूप में कुल 23,85,517 रुपये खर्च किये गये है। आरोपी श्री सुभाष विजय पुत्र श्री सूर्यनारायण जाति महाजन उम्र 57 साल मकान नं. 29, गणपति रेजीडेंसी रिद्धि सिद्धि नगर—प्रथम कुन्हाड़ी, कोटा तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का बमूरी तहसील अटरू, अतिरिक्त जार्च पटवार हल्का अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां के द्वारा अर्जित की गयी परिसंपत्तियों एवं आय—व्यय की सही स्थिति को प्रदर्शित करने हेतु चेक पिरीयड का निर्धारण कर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा जारी गाइडलाईन दिनांक 08.08.2014 के अनुसार खाना तलाशी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र अ, ब, स, द मय चैक लिस्ट तथा फर्द खाना तलाशी के मुर्तिब की जाकर निम्नानुसार है :—

प्रपत्र— अ (अपराध सं. 198/2017 विरुद्ध सुभाष विजय पटवारी)
चैक अवधि 18.10.1993 से 19.07.2017 से पूर्व अर्जित सम्पत्तियों का विवरण

S. No.	विवरण	प्राप्ति की दिनांक	राशि	साक्ष्य
I.	अचल सम्पत्तियों			
A.	भूखण्ड, फ्लेट एवं भवन			
B.	कृषि भूमि			
II.	चल सम्पत्तियों			
A.	बचत व चालू खाता में शेष राशि एवं सावधि जमा इत्यादि			
B.	पोस्ट ऑफिस खाते में शेष राशि			
C.	पोस्ट ऑफिस में राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, इन्दिरा विकास पत्र इत्यादि			
D.	सरकारी प्रति भूतियों			
E.	बियरर बॉण्ड			
F.	ऋण, अग्रिम			
G.	कम्पनी, फर्म में जमा			

H.	जोईन्ट स्टॉक कम्पनियों में शेयर और डिबेन्चर्स			
I.	जीवन अक्षय, जीवन धारा और इसी तरह की पॉलिसियों में विनियोग, इकाई, मास्टर शेयर, म्युचुअल फण्ड, पीपीएफ इत्यादि			
J.	नगद, बहुमूल्य धातु आभूषण व गहने			
K.	घरेलू सामान			
L.	कार, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड, साइकिल इत्यादि			
M.	रेडियो, टी.वी., वीसीआर, टेपरिकॉर्डर, वातानुकूल मशीन, टाईपसाईटर, कम्प्युटर, लेपटॉप, मोबाईल इत्यादि			
N.	बिजली के उपकरण जैसे वाशिंग मशीन इत्यादि			
O.	घड़ियों, पैन्, पेन्टिंग एवं अन्य किमती सामान			
P.	जानवर			
Q.	अन्य सम्पत्तियाँ			
कुल योग			0.00	

प्रपत्र- ब (अपराध सं. 198/2017 विरुद्ध सुभाष विजय पटवारी)
चैक अवधि के अंत में संपत्तियाँ
अवधि दिनांक 18.10.1993 से 19.07.2017 तक

S.No.	विवरण	प्राप्ति की दिनांक	राशि	साक्ष्य का विवरण
I.	अचल संपत्तियाँ			
A	भूखण्ड, भवन गणपति रेजीडेन्सी कुन्हाडी कोटा	30/05/2009	24,25,547	भूखण्ड आरोपी की पत्नी श्रीमति कीर्ति विजय एवं विक्रेता पक्ष के मध्य हुये इकरारनामों की प्रति दिनांक 30.05.2009 व अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड कोटा की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार
II.	चल संपत्तियाँ			
B	बैंक में शेष			
1	बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक कोटा खाता संख्या 45970100306334 खाता धारक कीर्ति विजय	19/07/2017	27,825.00	बैंक से दिनांक 19.07.17 को बलेन्स की सूचना की प्रति
2	तत्कालीन एसबीबीजे हाल एसबीआई शाखा कोटा खाता संख्या 51004238384 खाता धारक सुभाष विजय	19/07/2017	74,035.00	बैंक से दिनांक 19.07.17 को एमओडी बलेन्स की सूचना की प्रति
3	इलाहाबाद बैंक कोटा खाता संख्या 50201695297 खाता धारक सुभाष विजय	19/07/2017	17,576.00	बैंक से दिनांक 19.07.17 को एमओडी बलेन्स की सूचना की प्रति
4	तत्कालीन एसबीबीजे हाल एसबीआई बैंक अट्रु खाता संख्या 51079532560 खाता धारक सुभाष विजय	18/07/2017	3,27,395.00	बैंक से दिनांक 18.07.17 को एमओडी बलेन्स की सूचना की प्रति
C	नगद, बहुमूल्य धातु आभूषण व गहने			
1	आभूषण व गहने घर पर	19/07/2017	1,84,500.00	फर्द खानातलाशी के पेज संख्या 03 के क्रम संख्या 08 में अंकित अलमारी में मिले जेवरात 8 (1) से (9) तक अनुमानित
2	आभूषण व गहने लॉकर में	17/11/2017	11,000.00	फर्द खानातलाशी बैंक लॉकर के क्रम

	चांदी के जेवर			संख्या की प्रति अनुमानित
	3 नकद राशि घर पर	19/07/2017	24,230.00	फर्द खानातलाशी के पेज संख्या 03 के कम संख्या 08 में अकित अलमारी में मिली राशि 8 (10)
	4 नकद राशि लॉकर में	17/11/2017	7,770.00	फर्द खानातलाशी बैंक लॉकर की प्रति
	5 नकद राशि ट्रेप कार्यवाही की जगह पर अटरू	19/07/2017	51,940.00	फर्द बरामदगी रिश्त राशि
D	इंवेन्टरी के अनुसार घरेलू सामान	19/07/2017	1,92,600.00	फर्द खानातलाशी की सूची के अनुसार
E	कार, स्कूटर, मोटर साईकिल, मोपेड, साईकिल इत्यादि			
	1 मोटर साईकिल नम्बर आरजे 20 एसएस 7985 कय दिनांक 28.05.12	28/05/2012	51,617.00	रजिस्ट्रेशन की प्रति
	2 स्कूटी नम्बर आरजे 20 एसटी 9027 कय दिनांक 23.10.12	23/10/2012	44,760.00	रजिस्ट्रेशन की प्रति
	3 मोटर साईकिल नम्बर आरजे 28 एसडी 1385 कय दिनांक 26.10.2008	26/10/2008	42,295.00	रजिस्ट्रेशन की प्रति
F	जीवन बीमा, अन्य बीमा की किश्त की राशि			
	1 एलआईसी संख्या 185170955	28/03/2006	63,965.00	5815 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से कुल 11 वर्ष तक
	2 एलआईसी संख्या 188168993	04/09/2014	25,128.00	8376 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से कुल 03 वर्ष तक
	3 एलआईसी संख्या 188136809	18/12/2012	29,400.00	5880 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से कुल 05 वर्ष तक
	4 एलआईसी संख्या 188131791	06/08/2012	29,400.00	5880 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से कुल 05 वर्ष तक
G	सावधि जमा (एफडी) पर खर्चे			
	आरोपी सुभाष विजय के नाम एफडीआर			
	1 एफडीआर खाता संख्या 50312571504	19/12/2015	70,000.00	एफडीआर की प्रति
	2 एफडीआर खाता संख्या 50347130535	06/08/2016	80,000.00	एफडीआर की प्रति
	3 एफडीआर खाता संख्या 50203392290	10/05/2014	49,000.00	एफडीआर की प्रति
	आरोपी की पत्नि कीर्ति विजय के नाम एफडीआर			
	हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
	1 खाता संख्या 3/35504	28/08/2012	25,000.00	एफडीआर की प्रति
	2 खाता संख्या 3/35692	14/09/2013	1,00,000.00	एफडीआर की प्रति
	3 खाता संख्या 45970300035734	27/11/2013	11,412.00	एफडीआर की प्रति
	4 खाता संख्या 3/35816	24/06/2014	50,000.00	एफडीआर की प्रति
	5 खाता संख्या 3/35822	02/07/2014	50,000.00	एफडीआर की प्रति
	6 खाता संख्या 3/35389	27/12/2011	10,000.00	एफडीआर की प्रति
	7 खाता संख्या 3/35635	05/06/2013	1,00,000.00	एफडीआर की प्रति
	बडोदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
	1 खाता संख्या 35914	16/02/2015	30,000.00	एफडीआर की प्रति

2	खाता संख्या 35986	20/07/2015	90,000.00	एफडीआर की प्रति
3	खाता संख्या 36110	08/07/2016	1,00000.00	एफडीआर की प्रति
4	खाता संख्या 36112	13/07/2016	1,00000.00	एफडीआर की प्रति
	एसबीबीजे/एसबीआई बैंक गुमानपुरा कोटा			
1	खाता संख्या 61167799961	25/09/2012	40,000.00	एफडीआर की प्रति
2	खाता संख्या 61280117413	20/07/2015	1,00000.00	एफडीआर की प्रति
3	खाता संख्या 61280117220	20/07/2015	1,00000.00	एफडीआर की प्रति
4	खाता संख्या 61300727054	17/12/2015	1,00000.00	एफडीआर की प्रति
5	खाता संख्या 61320961364	13/07/2016	80,000.00	एफडीआर की प्रति
कुल योग			49,16,395.00	

प्रपत्र- सी (अपराध सं. 198/2017 विरुद्ध सुभाष विजय पटवारी)
चैक अवधि के दौरान आय एवं अन्य प्राप्तियाँ
(18.10.1993 से दिनांक 19.07.2017 तक)

S.No.	विवरण	प्राप्ति की दिनांक	राशि	साक्ष्य का विवरण
A	वेतन एवं भत्ते			
1	शुद्ध वेतन बाद कटौतियाँ		32.48,451.00	आरोपी कर्मचारी के जीए 55 की प्रति (माह 18.10.1993 से जुलाई 2017 तक)
B	परिवार के सदस्यों की आय एवं प्राप्तियाँ (केवल उपयुक्त मामलों में)			
	आरोपी सुभाष विजय को उसकी माता मीरा देवी की एफडीआर के मनोनियन पर प्राप्त राशि।			
1	एफडीआर खाता संख्या 61139066108 एसबीबीजे बैंक गुमानपुरा कोटा	25/05/2015	4,35,232.00	आरोपी की माता मीरा देवी की एफडी जिसमें आरोपी सुभाष विजय पटवारी नोमिनी था। जो परिपक्वता दिनांक पूर्ण होने आरोपी को प्राप्त हुई है।
2	एफडीआर खाता संख्या 50073286855 इलाहबाद बैंक कोटा	02/05/2015	68,597.00	आरोपी की माता मीरा देवी की एफडी जिसमें आरोपी सुभाष विजय पटवारी नोमिनी था। जो परिपक्वता दिनांक पूर्ण होने आरोपी को प्राप्त हुई है।
3	एफडीआर खाता संख्या 50073293613 इलाहबाद बैंक कोटा	02/05/2015	1,02,156.00	आरोपी की माता मीरा देवी की एफडी जिसमें आरोपी सुभाष विजय पटवारी नोमिनी था। जो परिपक्वता दिनांक पूर्ण होने आरोपी को प्राप्त हुई है।
कुल योग			38,54,436.00	

प्रपत्र- डी (अपराध सं. 198/2017 विरुद्ध सुभाष विजय पटवारी)
चैक अवधि के दौरान खर्च
(दिनांक 18.10.1993 से 19.07.2017 तक)

S.No.	विवरण	प्राप्ति की दिनांक	राशि	साक्ष्य का विवरण
A	बच्चों शिक्षा पर खर्च			

20/7

1	पीयूष की शिक्षा पर खर्च	700,000.00 (अनुमानित)	आरोपी के बताये अनुसार बड़े पुत्र पीयूष का जन्म 1997 हुआ कक्षा 1 से 5 तक ब्राइट फ्यूचर पब्लिक निजी स्कूल अटरू में अध्ययन किया। एवं कक्षा 6 में सेंटपोल निजी स्कूल बारां में अध्ययन किया एवं कक्षा 7 से 10 तक सेंट जोन्स निजी स्कूल कोटा में अध्ययन किया। कक्षा 11 एवं 12 में लाल बहुदर शास्त्री निजी स्कूल कोटा में अध्ययन किया। इसके बाद 01 वर्ष तक वाईब्रेट कॉचिंग में निजीनियरिंग की तैयारी की तत्पश्चात 04 वर्ष तक आईआईटी रूडकी में इन्जीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की।
2	हितेश की शिक्षा पर खर्च	300000.00 (अनुमानित)	आरोपी के बताये अनुसार हितेश का जन्म 2000 हुआ कक्षा 1 से 5 तक ब्राइट फ्यूचर पब्लिक निजी स्कूल अटरू में अध्ययन किया। एवं कक्षा 6 में सेंटपोल निजी स्कूल बारां में अध्ययन किया एवं कक्षा 7 से 10 तक सेंट जोन्स निजी स्कूल कोटा में अध्ययन किया। कक्षा 11 एवं 12 में लाल बहुदर शास्त्री निजी स्कूल कोटा में अध्ययन किया। इसके बाद 01 वर्ष एलन निजी कॉचिंग में एमबीबीएस की तैयारी की।
B	वाहनो का संचालन व सार सम्माल पर खर्च	21000.00 (अनुमानित)	आरोपी के पास खानातलाशी के दौरान तीन दो पहिया वाहनो पर बीमा एवं रखरखव पर खर्च आरोपी के बताये अनुसार वर्ष 2012 से 2017 तक 3000 रुपये प्रति वर्ष के अनुसार।
C	बैंक लॉकर किराया	10000.00 (अनुमानित)	इलाहबाद बैंक शाखा गुमानपुरा कोटा में लॉकर संख्या 66/11-269 का खर्च अनुमानित
D	टेलिफोन/मोबाईल का खर्च	100000.00 (अनुमानित)	आरोपी के परिवार के सदस्यो द्वारा मोबाईल फोन पर खर्च की गई औसत राशि
E	पेट्रोल/डीजल	60000.00 (अनुमानित)	आरोपी के तीनो दो पहिया वाहनो पर पेट्रोल पर किया गया खर्च अनुमानित
F	सत्यापित नही होने वाले खर्च	1194517.00	सकल वेतन - आयकर भुगतान का एक तिहाई
		23,85,517.00	

इस प्रकार आरोपी श्री सुभाष विजय पुत्र श्री सूर्यनारायण विजय उम्र 52 साल जाति महाजन निवासी म0न0 29 गणपति रेजिडेन्सी, रिद्वि सिद्वि नगर प्रथम, कुन्हाडी कोटा थाना कुन्हाडी कोटा हाल पटवारी पटवार हल्का बम्बोरी अतिरिक्त चार्ज अर्डान्द और मूण्डला विसोती तहसील अटरू जिला बारां के पास अपने सम्पूर्ण सेवा काल 18.10.1993 से ट्रेप दिनांक 19.07.17 तक प्राप्त की गई अर्जित सम्पत्तियां, आय एवं व्यय निम्नानुसार है :-

आय से अधिक सम्पत्ति की गणना

आरोपी के पास बैंक पीरियड से पूर्व की सम्पत्तियां	0
आरोपी के पास बैंक पीरियड के दौरान प्राप्त सम्पत्तियां	49,16,395
आरोपी के पास बैंक पीरियड के दौरान ज्ञात आय	38,54,436
आरोपी द्वारा बैंक पीरियड के दौरान कुल खर्च	23,85,517
आरोपी के पास बैंक पीरियड के दौरान प्राप्त सम्पत्तियां एवं खर्च	49,16,395 + 23,85,517 = 73,01,912
आरोपी के पास बैंक पीरियड के दौरान प्राप्त सम्पत्तियां एवं आय का अंतर	73,01,912 - 38,54,436 = 34,47,476

आरोपी के पास बैंक पीरियड के दौरान प्राप्त सम्पत्तियां एवं आय का अंतर	34,47,476
आय से अधिक सम्पत्ति का प्रतिशत	89.44 %

इस प्रकार आरोपी श्री सुभाष विजय पुत्र श्री सूर्यनारायण विजय उम्र 52 साल जाति महाजन निवासी म0न0 29 गणपति रेजिडेन्सी, रिद्धि सिद्धि नगर प्रथम, कुन्हाडी कोटा थाना कुन्हाडी कोटा हाल पटवारी पटवार हल्का बम्बोरी अतिरिक्त चार्ज अर्डान्द और मूण्डला विसोती तहसील अटरू जिला बारां के पास अपने सम्पूर्ण सेवा काल 18.10.1993 से ट्रेप दिनांक 19.07.17 तक 49,16,395 रुपये की सम्पत्ति पाई गई। एवं उक्त अवधि में आरोपी द्वारा 23,85,517 रुपये कुल खर्च किया गया। इस प्रकार आरोपी के पास ट्रेप दिनांक 19.07.17 को ज्ञात सम्पत्ति 49,16,395 रुपये एवं खर्च की गई राशि 23,85,517 रुपये कुल सम्पत्ति (49,16,395+23,85,517 = 73,01,912) होना पाया गया है। जबकि आरोपी को अपने सम्पूर्ण सेवा काल में वेतन एवं अन्य मदों से कुल 38,54,436 रुपये प्राप्त हुये हैं। इस प्रकार आरोपी के पास ज्ञात सम्पत्ति 73,01,912 रुपये उसकी प्राप्त आय 38,54,436 रुपये से 34,47,476 रुपये अधिक है जो आरोपी को प्राप्त आय से 89.44 प्रतिशत अधिक है जांच से ज्ञात सम्पत्ति आरोपी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध साधनों से अर्जित करना प्रथम दृष्ट्या पाया गया है तथा विस्तृत अनुसंधान से आय से और अधिक परिसम्पत्तियों के बढ़ने की सम्भावना है। श्री सुभाष विजय पुत्र श्री सूर्यनारायण विजय उम्र 52 साल जाति महाजन निवासी म0न0 29 गणपति रेजिडेन्सी, रिद्धि सिद्धि नगर प्रथम, कुन्हाडी कोटा थाना कुन्हाडी कोटा तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का बम्बोरी अतिरिक्त चार्ज अर्डान्द और मूण्डला विसोती तहसील अटरू जिला बारां के विरुद्ध धारा 13 (1)(ई), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दण्डनीय होने से आरोपी श्री सुभाष विजय पुत्र श्री सूर्यनारायण विजय उम्र 52 साल जाति महाजन निवासी म0न0 29 गणपति रेजिडेन्सी, रिद्धि सिद्धि नगर प्रथम, कुन्हाडी कोटा थाना कुन्हाडी कोटा तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का बम्बोरी अतिरिक्त चार्ज अर्डान्द और मूण्डला विसोती तहसील अटरू जिला बारां के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हेतु बिना नम्बरी एफआईआर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।


भवदीय,



(गोपाल सिंह कानावत)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गोपाल सिंह कानावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018 में आरोपी श्री सुभाष विजय, तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का बम्बोरी, तहसील अटरू, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का अर्डान्द और मूण्डला बिसोती, तहसील अटरू, जिला बारां के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 495/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


 28.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 4193-96 दिनांक 28.12.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. जिला कलक्टर, बारां।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां।

 28.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।